# प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2013 से जनवरी 2014 तक के दौरान 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के निष्पादन' की लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवदेन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2006-07 से 2012-13 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान नोटिस में आए तथा वे जो पूर्ववर्ता वर्षों में नोटिस में आए परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके; 2012-13 के अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां कहीं आवश्यक है, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीओसी एवं डीजीएफटी), राजस्व विभाग (सीबीईसी एवं सीबीडीटी) से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।